GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 31/2026

No. E(D&A) 2025 RG6-4 **New Delhi, Dated: 06 .04.2026**

The General Manager (P)
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per Standard list).

Sub: Disciplinary proceedings under Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 – Observance of procedure reg.

A case has come to the notice of Ministry of Railways where immediately after the closure of the case on behalf of the Disciplinary Authority and submission of statement of defence by the charged official, the Inquiry Officer concluded the inquiry and submitted his report in the case. The Hon'ble Central Administrative Tribunal in the said case have commented adversely on the procedure adopted by the Inquiry Officer observing that the inquiry authority has held the inquiry only on behalf of the prosecution. In an another case, Hon'ble Tribunal has quashed the penalty order on the ground of noncompliance of mandatory requirement of serving a copy of the inquiry report to the charged official by the disciplinary authority before passing final orders in the case in violation of principles of natural justice.

2. The matter has been considered. Railways are advised as under:

(i) Opportunity of defence to the charged official

As the Railways are aware, inquiry is conducted in the disciplinary cases against Railway Servants in accordance with the procedure laid down in rule 9 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. Under the extant rules, after the case on behalf of the Disciplinary Authority has been closed, the charged official is given an opportunity to put forward his defence. The procedure to be followed at the defence stage is brought out in sub-rules (19) to (22) of rule 9 aforesaid. The statement of defence is given by the charged official under sub rule 19 mentioned above. Thereafter, the Inquiry Officer has to give an opportunity to the charged official to lead his evidence, generally examine him on the circumstances appearing against him in the evidence followed by defence brief, if any, from the charged official before the inquiry report is prepared. In the instant case, however, the Inquiry Officer completely bypassed the procedure further to sub-rule 19 of rule 9 leading to denial of reasonable opportunity of defence to the charged

...

official. Hon'ble Tribunal have observed that the Disciplinary and Appellate authority in the case also overlooked the serious procedural lapses in the conduct of the inquiry made by the Inquiry Officer.

(ii) Master Circular No. 67 issued by Ministry of Railways

Ministry of Railways have issued an Master Circular bearing No. 67 bringing out in detail the important points to be kept in view by the various authorities handling the disciplinary cases including the Inquiry Officer. Instructions have also been issued under Board's letter no. E(D&A)2008 RG6-29 dated 04.08.2009 requiring the Railways to make available a copy of the above said Master Circular to the Inquiry Officer along with the appointment order. Vide the above letter dated 04.08.2009, Railways have also been directed that all the disciplinary cases may be routed through the personnel department at all important stages of inquiry in order that the required procedures are complied with. It appears that the above guidelines have not been followed in the instant case causing this unwholesome situation.

(iii) Action on inquiry report

There is also a clear provision in rule 10 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 that a copy of inquiry report will be supplied to the charged official to enable him to submit his representation thereon, if any, before the final order are passed in the case by the Disciplinary Authority. The said rules also require that where the Inquiry Officer hold a charge or charges as not proved or partly proved and the Disciplinary Authority proposes to disagree with the findings of the Inquiry Officer, the reasons of disagreement of the disciplinary authority with the findings of the inquiry officer will also be furnished to the charged official along with the inquiry report so that he can make an effective representation. The above procedure is very well established and widely known. Non observance of the above procedure, therefore, cannot be countenanced under any circumstances. Likewise, rule 22 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 cast a clear responsibility on the Appellate Authority to see whether the procedure laid down under Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 have been complied with or not in the case and pass appropriate orders accordingly.

(iv) Necessity of reasoned and speaking orders

The importance of passing reasoned and speaking orders by the Disciplinary, Appellate and Revisionary Authorities can hardly be over emphasized. Reasoned and speaking orders not only enable proper discussion on the merits of the case but ensures that the procedural aspects of the disciplinary proceedings are also duly addressed.

3. It has also been observed that in some cases, the Inquiry Officers have not followed properly the laid down procedure for general examination of the charged official under sub-rule 21 of rule 9 of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968. The charged official was merely asked whether he is satisfied with the inquiry and want to say something in his defence.

This is not a correct procedure. Rule 9(21) aforesaid envisages that the Inquiry Officer will summarize all the material facts and evidence that appear in the inquiry that go against the charged official and thereafter, ask him to explain his position on these incriminating facts and evidence. The above may please be ensured.

4. Railways may please appreciate that Disciplinary proceedings are quasi-judicial in nature and therefore, the prescribed procedures are required to be followed in letter as well as spirit. Any failure in following the prescribed procedure not only causes avoidable hardships to the innocent officials but also afford an opportunity to erring officials to escape the penal action on the plea of denial of reasonable opportunity of defence. It becomes difficult to defend such cases when challenged in a Court of Law. Railways may therefore, ensure that the extant rules and administrative instructions issued there under are followed scrupulously in all disciplinary cases to ensure the principles of natural justice are followed.

5. Please acknowledge receipt.

(Priya Gopalakrishnan)
Director/Estt.(D&A)
Railway Board

Copy to:

ERB-I, ERB-II, ERB-IV, E(O)-I, V-I and Sec(E) branches in Board's Office.

Government of India (भारत सरकार)
Ministry of Railways (रेल मंत्रालय)
Railway Board (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 31/2026

सं. ई(डीएंडए) 2025 आरजी6-4 **नई दिल्ली, दिनांकः 06.04.2026**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही - प्रक्रिया अनुपालन के संबंध में ।

रेल मंत्रालय के संज्ञान में एक मामला आया है, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद किए जाने और आरोपित कर्मचारी दवारा बचाव बयान देने के तुरंत बाद, जांच अधिकारी ने जांच समाप्त कर मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उक्त मामले में जांच अधिकारी दवारा अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने केवल अभियोजन पक्ष की ओर से ही जांच की है। एक अन्य मामले में, माननीय न्यायाधिकरण ने शास्ति आदेश को इस आधार पर रदद कर दिया, कि अनुशासनिक प्राधिकारी दवारा मामले में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व आरोपित कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने की अनिवार्यता का अनुपालन नहीं किया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिदधांतों का उल्लंघन है।

2. मामले पर विचार किया गया है। रेलवे को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:

(i) <u>आरोपित कर्मचारी को बचाव का अवसर</u>

जैसा कि रेलवे को ज्ञात है, रेल सेवकों के विरुदध अनुशासनिक मामलों में जांच रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। मौजूदा नियमों के तहत, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद किए जाने के बाद, आरोपित कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।

..../—

बचाव के चरण में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया उपरोक्त नियम 9 के उप-नियम (19) से (22) तक में दी गई है। बचाव का बयान उप-नियम 19 के तहत आरोपित कर्मचारी दवारा दिया जाता है। उसके पश्चात, जांच अधिकारी को आरोपित कर्मचारी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना होता है, साक्ष्यों में उसके खिलाफ प्रतीत होने वाली परिस्थितियों पर साधारणतया उससे प्रश्न पूछने होते हैं, और फिर, जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व आरोपित कर्मचारी से बचाव ब्रीफ़, यदि कोई हो, लिया जाता है। तथापि, इस मामले में, जांच अधिकारी ने नियम 9 के उप-नियम 19 के बाद की प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की है जिससे आरोपित कर्मचारी को बचाव का उचित अवसर नहीं मिला। माननीय न्यायाधिकरण ने देखा कि मामले में अनुशासनिक और अपीलीय प्राधिकारी ने भी जांच अधिकारी दवारा की गई जांच में गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियों को नज़रअंदाज किया।

(ii) <u>रेल मंत्रालय दवारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या 67</u>

रेल मंत्रालय ने मास्टर परिपत्र संख्या 67 जारी किया है, जिसमें अनुशासनिक मामलों से संबंधित विभिन्न प्राधिकारियों जिसमें जांच अधिकारी भी शामिल है, दवारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण मुददों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। बोर्ड के दिनांक 04.08.2009 के पत्र संख्या ई(डीएंडए)2008 आरजी6-29 के माध्यम से भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें रेलवे को उक्त मास्टर परिपत्र की एक प्रति नियुक्ति आदेश के साथ जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 04.08.2009 के उपरोक्त पत्र के तहत, रेलवे को यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त अनुशासनिक मामलों को जांच के सभी महत्वपूर्ण चरणों में कार्मिक विभाग के माध्यम से भेजा जाए ताकि आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई है।

(iii) <u>जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई</u>

रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 10 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी ताकि वह अनुशासनिक प्राधिकारी दवारा मामले में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व उस पर अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सके। उक्त नियम में यह भी कहा गया है

कि यदि जांच अधिकारी किसी आरोप को सिदध नहीं अथवा आंशिक रूप से सिदध मानता है और अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने का प्रस्ताव करता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी की जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारण भी जांच रिपोर्ट के साथ आरोपित कर्मचारी को दिए जाएंगे ताकि वह प्रभावी अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। उपरोक्त प्रक्रिया सुस्थापित और व्यापक रूप से ज्ञात है। अतः उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन न करना किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 का नियम 22 अपीलीय प्राधिकारी पर स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी डालता है कि वह देखे कि मामले में, रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं और तदनुसार, उपयुक्त आदेश पारित करे।

(iv) **<u>तर्कसंगत और आख्यापक आदेशों की आवश्यकता</u>**

अनुशासनिक, अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों दवारा तर्कसंगत और आख्यापक (स्पीकिंग) आदेश पारित करने के महत्व पर जितना ज़ोर दिया जाए कम है। तर्कसंगत और आख्यापक आदेश न केवल मामले के गुणावगुण पर उचित चर्चा करने में समर्थ करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर भी विधिवत ध्यान दिया जाए।

3. यह भी देखा गया है कि, कुछ मामलों में, जांच अधिकारी ने रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 के नियम 9 का उप-नियम 21 के तहत आरोपित कर्मचारी के सामान्य परीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन नहीं किया है। आरोपित कर्मचारी से केवल यह पूछा गया कि क्या वह जांच से संतुष्ट है और क्या वह अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है। यह सही प्रक्रिया नहीं है। उपर्युक्त नियम 9(21) के अनुसार यह परिकल्पित है कि जांच अधिकारी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों का सारांश प्रस्तुत करेगा जो जांच में सामने आएं हैं और जो आरोपित कर्मचारी के विरुदध हैं तथा उसके पश्चात, उससे इन आपत्तिजनक तथ्यों और साक्ष्यों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहेगा। कृपया उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जाए।

4. रेलवे कृपया इस बात को समझें कि अनुशासनिक कार्यवाहियां अर्ध-न्यायिक प्रकृति की होती हैं और इसलिए, निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः और भावपूर्ण पालन करना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने से, न केवल निर्दोष कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाइयों

का सामना करना पड़ता है, बल्कि दोषी कर्मचारियों को उचित बचाव के अवसर न मिलने का बहाना देकर दंडात्मक कार्रवाई से बचने का अवसर भी मिल जाता है। ऐसे मामलों का न्यायालय में चुनौती मिलने पर बचाव करना कठिन हो जाता है। अतः रेलवे यह सुनिश्चित करे कि सभी अनुशासनिक मामलों में मौजूदा नियमों और उनके अंतर्गत जारी प्रशासनिक निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए ताकि नैसर्गिक न्याय के सिदधांतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

5. कृपया प्राप्ति की पुष्टि करें।

प्रिया. जी

(प्रिया गोपालकृष्णन)
निदेशक/स्था. (अनुशासन और अपील)
रेलवे बोर्ड